(50)

कार्यालय आबकारी आयुक्त ,उत्तर प्रदेश

संख्या 6950/चार–सी–17ए–348/ भर्ती/चतुर्थ श्रेणी/2009–10/इला0 दिनांक जून 23,2010

विज्ञप्ति

शासकीय आदेश संख्या – 724ई–1/तेरह– 2010– 499 (2) / 2008 टी0सी0 दिनांक28.04.2010 तथा शासनादेश संख्या 949ई–1/तेरह–2010 दिनांक 5.06.2010 के अनुपालन में आबकारी विभाग चपरासी /चौकीदार के रिक्त 45 पदों समूह–घ कर्मचारी सेवा नियमावली 1985 के प्राविधानान्तर्गत चयन/ भर्ती की कार्यवाही निम्नलिखित भर्ती केन्द्रों पर सम्पन्न की जायेगी:–

क0सं0	भर्ती केन्द्र का नाम	भर्ती केन्द्रों पर पदों की संख्या	अनसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
1	वाराणसी	3	1	–	1	1
2	इलाहाबाद	4	1	–	1	2
3	मिर्जापुर	3	1	–	1	1
4	आजमगढ़	3	1	–	1	1
5	गोरखपुर	3	–	–	1	2
6	बस्ती	2	–	–	–	2
7	लखनऊ	4	1	1	1	1
8	बरेली	1	–	–	–	1
9	फैजाबाद	3	–	–	1	2
10	देवी पाटन	2	–	–	–	2
11	मेरठ	2	1	–	–	1
12	मुरादाबाद	3	–	–	1	2
13	सहारनपुर	2	–	–	1	1
14	आगरा	3	1	–	1	1
15	झाँसी	1	–	–	–	1
16	चित्रकूट धाम	1	–	–	–	1
17	अलीगढ़	3	1	–	1	1
18	कानपुर	2	1	–	1	0
	योग	45	9	1	12	23

वेतनमान–

वेतन बैन्ड– रु0.4440–7440 तथा ग्रेड पे –रु01300.00

नोट:–(1) राज्याधीन पदों पर सीधी भर्ती के प्रकम में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण (विकलांग को छोड़कर,) महिलाओं को 20 प्रतिशत, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 02 प्रतिशत एवं भूतपूर्व सैनिकों को 05 प्रतिशत नियमानुसार अनुमन्य होगा।

(2) किसी भी वर्ग में रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

(49)

(3) इस सम्बन्ध में उपरोक्त भर्ती केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा अलग से भी विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जायेगी।

(4) भर्ती के प्रभारी सम्बन्धित केन्द्रों के उप आबकारी आयुक्त प्रभार होंगे।

(5)आरक्षण केवल उ0प्र0 राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही नियमानुसार अनुमन्य होगा, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सामान्य वर्ग में स्वीकार किये जायेगें।

2. आयु— 1 जुलाई 2009 (एक जुलाई सन् दो हजार नौ) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिये (अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।)

शैक्षिक अर्हता — कक्षा पॉच उत्तीर्ण

समूह —घ के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो ।

परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू न होगी ।

अन्य बातों के समान होने पर ,ऐसे अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसके प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो ।

अनुदेशः—

भर्ती प्रकिया में जनहित में निम्नलिखित परिवर्तन का अधिकार केवल आबकारी आयुक्त उ0प्र0 में निहित होगा और इन परिवर्तनों का किसी भी न्यायालय में प्रतिरोध करने का अधिकार किसी भी संस्था / व्यक्ति को नहीं होगा :—

1. रिक्तियां आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने का अधिकार तथा एक केन्द्र की रिक्तियों को दूसरे भर्ती केन्द्र पर परिवर्तित करने का अधिकार।

2. जनहित में विशेष परिस्थितियों में किसी भी भर्ती केन्द्र तथा भर्ती के कार्यक्रम को आवश्यकतानुसार परिवर्तित व संशोधित किये जाने का अधिकार ।

3.किसी भी भर्ती केन्द्र अथवा सम्पूर्ण चयन प्रकिया अथवा अभ्यर्थी विशेष के चयन को निरस्त / संशोधित /परिवर्तित तथा चयन के संबंध में वाद उत्पन्न होने में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार।

4.अभ्यर्थी प्रकाशित भर्ती केन्द्रों में से अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक ही भर्ती केन्द्र पर केवल एक आवेदन पत्र जमा कर सकता है । एक से अधिक भर्ती केन्द्रों पर आवेदन पत्र जमा करने की स्थिति में उसकी पात्रता समाप्त कर दी जायेगी ।

23.6.10

(महेश कुमार गुप्ता)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।